झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 01/नीति निर्धारण–04/2017 न0वि0आ0.......3926 **राँची,दि0–22/06/17**

भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–22 एवं झारखण्ड भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के नियम–19 में वर्णित प्रावधान के आलोक में भू–सम्पदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा देने के निमित्त चयन समिति का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है :–

(क)	उच्च न्यायालय, झारखण्ड के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके प्रतिनिधि	–	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	–	सदस्य एवं संयोजक
(ग)	प्रधान सचिव, विधि विभाग	–	सदस्य

2. यह चयन समिति, अधिनियम की धारा–22 एवं झारखण्ड भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के नियम–19.4, 19.5 एवं 19.6 में निहित प्रावधान के आलोक में भू–सम्पदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु, योग्य एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु, खोज समिति की नियुक्ति सहित मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

3. चयन समिति अपनी अनुशंसा एक माह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21.6.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/नीति निर्धारण–04/2017 न0वि0आ0..3926 **राँची,दि0–22/06/17**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/नीति निर्धारण–04/2017 न0वि0आ0...3926 **राँची,दि0–22/06/17**

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, विधि विभाग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।

rk-udd_adhisuchana-105